

प्रेषक,

श्याम सिंह,  
संयुक्त सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 15 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का नव निर्माण (RFQ एवं TOR के अनुसार) (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा विषयगत संलग्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों (प्रथम चरण), जिनकी कुल लागत ₹ 95.35 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹94.48 लाख (रु.चौरानबूबे लाख अड़तालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए] चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (रु.दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 09 कार्यों हेतु ₹0.90 लाख (रु.नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

800  
16-03-23

1079

MD  
17/03/23

CE(P)/AAO

17/3/23

(अशोक कुमार)  
मुख्य अभियन्ता (अभिप्रेत)

809

SSO(P)/II

मुख्य अभियन्ता (नियोजित)  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

SAO (नि-1)

18/3/23

19-03-23

- xi. यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xii. उक्त कार्य हेतु लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190 (PWD) 01टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337सड़क निर्माण कार्य-03राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित संख्या-I/105976/2023, दिनांक 13 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

**Signed by Shyam Singh**

**Date: 15-03-2023 11:26:57**

श्याम सिंह  
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर।
11. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., गौचर/गैरसैण।
12. गार्ड फाईल।

श्याम सिंह  
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या- दिनांक मार्च, 2023 का संलग्नक :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतगत अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के अंतर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग (एस०एच०-34) के कि०मी० 41(चै० 40.504) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़	8 Mt. Span (1No.)	2.40	0.10

	लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)			
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत आदिब्रदी-नौटी मोटर मार्ग (एस0एच0-93) के कि०मी० 11 (चै0 10.628), कि०मी० 34(चै0 33.778) व कि०मी० 36 (चै0 35.725) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	6 Mt. Span (1No.) 6 Mt. Span (1No.) 8 Mt. Span (1No.)	06.00	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत कर्णप्रयाग-धारडुंग्री-मैखुरा-कण्डारा-सोनला मोटर मार्ग (एस0एच0-94) के कि०मी० 26 (चै0 25.703), कि०मी० 30(चै0 29.604) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	6 Mt. Span (1No.) 8 Mt. Span (1No.)	04.20	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत गौचर-सिदौली मोटर मार्ग (एस0एच0-95) के कि०मी० 16 (चै0 15.051) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	8 Mt. Span (1No.)	02.40	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत गैरसैण में भिकियासैण-देघाट-बुंगीधार-मेहलचौरी-बच्छुवाबाण मोटर मार्ग (एस0एच0-33) के कि०मी० 35 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	48 Mt. Span(1No.)	12.48	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत गैरसैण में भिकियासैण-देघाट-बुंगीधार-मेहलचौरी-बच्छुवाबाण मोटर मार्ग (एस0एच0-33) के कि०मी० 25 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	68 Mt. Span (1No.)	13.60	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग (एस0एच0-34) के कि०मी० 5(चै0 4.275) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	42.68 Mt. Span (1No.)	11.10	0.10

8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत आदिब्रदी-नौटी मोटर मार्ग (एस0एच0-93) के कि०मी० 1, 14, 26 एवं 31 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	33.33 Mt. Span (1No.) 24.38 Mt. Span (1No.) 24.38 Mt. Span (1No.) 38.48 Mt. Span (1No.)	33.30	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अंतर्गत कर्णप्रयाग-धारडुंग्री-मैखुरा-कण्डारा-सोनला मोटर मार्ग (एस0एच0-94) के कि०मी० 35 (चै0 34.722) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	30 Mt. Span (1No.)	09.00	0.10
	योग-	15 नं0 सेतु	94.48	0.90

(₹ नब्बे हजार मात्र)

(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/106364/2023  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220051  
आवंटन पत्र दिनांक-15-MAR-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-जिला तथा अन्य सड़के  
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		4060000	90000	0	4150000							
योग		4060000	90000	0	4150000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwwd@nic.in



पत्रांक-299 / 20 याता0'क'नियोजन-1/2023

दिनांक- 19 / 03 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, सातवाँ वृत्त, वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर/गैरसैण।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर सहायक अभियन्ता प्रावधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी